नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
आबटंन शरायते–ठेका पशुपंजीकरण एवं पंजीकृत तहबाजारी
वित्तीय वर्ष (2024–2025)

1. ठेका आबंटन हेतु सीलबन्द कोटेशन पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा ही प्राप्त किये जायेगें।
2. कोटेशन के साथ कोटेशनदाता व्यक्ति/संस्था/फर्म को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगें।
   - आधार कार्ड
   - पेंन कार्ड
   - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों। ?
   - सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी) जो 06 माह से अधिक पुराना न हो।
   - कोटेशन धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) के 10 प्रतिशत का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय एफ0डी0आर0 (मूल रूप में) जमानत धनराशि के रूप में।
   - कोटेशन धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) के साथ 50 प्रतिशत धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल रूप में) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय हो।
   - कोटेशनदाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सफल कोटेशनदाता को 07 दिवस के भीतर कुल स्वीकृत निविदा धनराशि का 1/2 भाग व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि सहित पालिका कोष में जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
4. ठेके की शेष धनराशि 31 जुलाई 2024 एवं 31 दिसम्बर 2024 को दो समान किस्तों में जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगरपालिका कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होगें जिन्हें किस्त जमा न होने की स्थिति में पालिका कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैको का अनादर (चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. उच्चतम निविदादाता/कोटेशनदाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र सं0–375/म0नि0नि0/2012–13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।
6. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
7. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तो के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

8. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों आदि के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
9. ठेकेदार को मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका रामनगर द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. स्वीकृत निविदादाता के कर्मचारियों को कोविड-19 के दृष्टिगत निम्न सावधानियाँ अपनाया जाना अनिवार्य होगाः-
    1. सैनेटाइजर, मास्क ग्लब्स, फेस शील्ड आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
    2. सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
    3. सभी कार्मिक प्राप्त धनराशि को पृथ बैग में रखना सुनिश्चित करेंगे।
    4. समय-समय पर साबुन/हैण्डवाश से हाथ धोते रहेंगे।
11. ठेका नगरपालिका सीमान्तर्गत केवल बेचे जाने वाले मवेशियो पर पंजीकरण शुल्क एवं पंजीकृत तहबाजारी शुल्क वसूल करने का है।
12. ठेका वसूली पालिका द्वारा निर्धारित दरों पर की जायेगी जो निम्न प्रकार है-
    1. **पशुपंजीकरण शुल्क** – **100=00 रू0 प्रति शु0**
    2. **पंजीकृत तहबाजारी शुल्क** – **50=00 रू0 प्रति शु0**
13. नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों को (राशन कार्ड में उल्लिखित) ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
14. पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी भी ठेके में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक की पावर ऑफ अटार्नी रजिस्ट्री विभाग में पंजीकृत न हो।
15. पशु बाजार में लाये गये पशुओं की अपरिहार्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर ठेकेदार को तत्काल इस सम्बन्ध में पालिका को सूचित करना अनिवार्य होगा एवं निर्धारित शुल्क पालिका में जमा करने के पश्चात् पालिका द्वारा मृत पशुओं का निस्तारण किया जायेगा।
16. पशुओं हेतु बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, मल मूत्र निस्तारण ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना अनिवार्य होगा।
17. ठेकेदार पंजीकरण शुल्क तथा पंजीकृत शुल्क नगरपालिका परिषद के वर्तमान शैड्यूल रेट्स के अनुसार ही वसूल करेगा जिसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि ठेकेदार को पालिका परिषद द्वारा दी जाएगी।
18. पशु ऊँटपड़ाव स्थित पशु बाजार स्थल में ही बांधे जाएंगे। स्वीकृत ठेकेदार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वह पशु बाजार हेतु निर्धारित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर अतिक्रमण नही करेगा एवं ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा कि वह पशुओं को सड़क पर न बांधने दे और न ही उनकी लोडिंग-अनलोडिंग सड़क पर होने दे यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है तो ठेकेदार के विरूद्व ठेका निरस्त किए जाने की कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। यदि भविष्य में पशु बाजार का स्थान परिवर्तित होता है तो ठेकेदार को तत्काल नये स्थल पर उक्त कार्य स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।
19. ठेकेदार को पंजीकरण रसीद एवं पंजीकृत तहबाजारी रसीदों के नमूनें नगरपालिका परिषद के कार्यालय से ले जाकर मजमून के अनुसार रसीद बुकें अपने खर्च से छपवानी होगी।
20. ठेकेदार द्वारा निर्गत की गई पंजीकरण एवं तहबाजारी रसीदों को नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को जाँच करने का अधिकार होगा।
21. ठेकेदार को पशुपंजीकरण एवं पंजीकृत तहबाजारी नियमों के अनुरूप निर्धारित दरो पर शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा।
22. ठेके के संचालन के सम्बन्ध मे पालिका के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा नियमो के अन्तर्गत दिए गए आदेशो/निर्देशो का ठेके को पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

23. ठेका स्वीकृत एवं अनुबन्ध होने के ठेकेदार को ठेके का कब्जा व वसूली हेतु आदेश दिया जाएगा।
24. ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दिनांक 31–03–2025 को ठेके का दखल पालिका को देना होगा अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।
25. ठेके की वसूली निर्धारित दरों पर करने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं करे तथा वसूली पर लगाए जाने वाले व्यक्ति को फोटो सहित पहचान पत्र दिए जाने अनिवार्य होगें।
26. ठेके की धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित उच्चतम कोटेशनदाता द्वारा पूर्व में कोटेशन के साथ संलग्न जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की पुनः नीलाम किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार को इसमें आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
27. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर ठेके की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
28. ठेका बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद का होगा।
29. किसी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।
30. ठेके की उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की किसी भी प्रकार की बकाया व क्षतिपूर्ति की धनराशि भू–राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।
31. आवंटन प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी, जिसके प्रथम चरण में कोटेशन आमंत्रित किये जायेंगे तथा द्वितीय चरण में प्राप्त उच्चतम कोटेशनदाताओं (अधिकतम पाँच) के मध्य कोटेशन खोले जाने की तिथि को बोली लगाकर, उच्चतम बोली के आधार पर ठेकों का आवंटन किया जायेगा।
32. ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5000=00 (पाँच हजार रू0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार रू0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू–राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

T.I

कर एवं राजस्व निरीक्षक नगरपालिका परिषद, रामनगर	अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, रामनगर	प्रभारी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर

Scanned with OKEN Scanner